भारत की छठी लघु सिंचाई गणना

प्रिलिम्स के लिये:

लघु सिंचाई गणना, लघु सिंचाई योजनाएँ

मेन्स के लिये:

सिंचाई से संबंधित पहल, लघु सिंचाई गणना का महत्त्व

स्रोत: पी. आई. बी.

चर्चा में क्यों?

जल शक्ति मंत्रालय ने पूरे भारत में सिंचाई प्रथाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लघु**सिंचाई योजनाओं (संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ) पर छठी गणना** रिपोर्ट जारी की।

- अब तक क्रमशः संदर्भ वर्ष 1986-87, 1993-94, 2000-01, 2006-07 और 2013-14 के साथ पाँच गणनाएँ की गई हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- **कुल लघु सिंचाई योजनाएँ:**
  - देश में कुल **23.14 मिलियन लघु सिंचाई (MI) योजनाएँ** बताई गई हैं।
  - **इनमें से 21.93 मिलियन (94.8%) भूजल (GW) और 1.21 मिलियन (5.2%) सतही जल (SW) योजनाएँ हैं।**
- **योजनाओं के प्रमुख प्रकार:**
  - **लघु सिंचाई योजनाओं में खोदे गए कुओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है,** इसके बाद कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल हैं।
  - पाँचवी गणना की तुलना में **छठी लघु सिंचाई गणना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि** हुई है।
    - राष्ट्रीय स्तर पर भूजल और सतही जल स्तर की **योजनाओं में क्रमशः 6.9% और 1.2% की वृद्धि हुई** है।
- **MI योजनाओं में अग्रणी राज्य:**
  - भारत में **MI योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी है** तथा इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है।
  - **खोदे गए कुओं,** सतही प्रवाह और सतही लिफ्ट योजनाओं **में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है।**
  - **उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब** क्रमशः उथले ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल के मामले में अग्रणी राज्य हैं।
  - SW योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
- **स्वामित्व विश्लेषण:**
  - लगभग 96.6% MI योजनाएँ निजी स्वामित्व के अधीन हैं।
  - GW योजनाओं में **निजी संस्थाओं का स्वामित्व 98.3% है एवं SW योजनाओं में यह हिस्सेदारी 64.2% की है।**
  - पहली बार MI योजना के हिस्सेदारों के लिंग पर डेटा एकत्र किया गया था।
    - **व्यक्तिगत स्वामित्व वाली 18.1% योजनाओं का स्वामित्व महिलाओं के पास है।**
- **वित्तपोषण और स्रोत:**
  - लगभग 60.2% योजनाओं का वित्तपोषण एकल स्रोत से किया जाता है।
    - व्यक्तिगत किसानों की स्वयं की बचत, एकल-स्रोत वित्तपोषण (79.5%) में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
  - 39.8% योजनाओं में वित्त के एक से अधिक स्रोत हैं।

लघु सिंचाई योजना:

- लघु सिंचाई योजना एक प्रकार की सिंचाई परियोजना है जो 2,000 हेक्टेयर तक के **कृषि योग्य कमांड क्षेत्र (CCA)** की सिंचाई के लिये सतही जल या भूजल का उपयोग करती है।
    - **CCA ऐसा क्षेत्र है जो** खेती के लिये उपयुक्त होता है और **योजना के तहत सिंचित किया जा सकता है**।
- लघु सिंचाई योजनाओं को **दो प्रमुख श्रेणियों और छह उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।**
    - **भूजल (GW)** योजनाओं में **खोदे गए कुएँ, उथले ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल शामिल** हैं।
    - **सतही जल (SW) योजनाओं में सतही प्रवाह और सतही लिफ्ट योजनाएँ शामिल हैं।**
- लघु सिंचाई योजनाएँ **किसानों को नियंत्रित और समय पर सिंचाई सुविधा प्रदान करती हैं जिसमें बीजों की नई उच्च उपज वाली किस्मों की मांग होती है।** ये योजनाएँ श्रम प्रधान, कम कार्यान्वयन अवधि वाली होती हैं और इन्हें शुरू करने के लिये उचित निवेश की आवश्यकता होती है।

सिंचाई से संबंधित सरकार द्वारा की गई पहलें:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- प्रति बूँद अधिक फसल
- मिशन काकतीय

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-6th-minor-irrigation-census